8844 11/3/17, 9027 10/3/17

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– दाखिल खारिज अपील वाद संख्या – 10 / 2012–13

श्री लाल महथा बनाम अंचल अधिकारी, जाले एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अपीलकर्त्ता एवं उत्तर–वादी का बहस सुना। अपीलकर्त्ता नें प्रस्तुत अपील धारा– 7 बिहार म्युटेशन एक्ट 2011 के तह्त दाखिल किया है। अपलीकर्त्ता लाल महथा, पिता– स्व0 मुन्सिफ महथा ग्राम– राढ़ी, थाना– जाले, जिला– दरभंगा आवेदक तथा (1) अंचल अधिकारी, जाले, विपक्षी प्रथम पक्ष (2) दयानन्द प्रसाद, (3) शत्रुधन प्रसाद, (4) भोगेन्द्र प्रसाद तीनों पिता– राम बहादुर महतो, ग्राम– राढ़ी थाना एवं अंचल– जाले, जिला– दरभंगा विपक्षी द्वितीय पक्ष (5) मनोज कुमार महतो पिता– राम शरण महतो ग्राम एवं पोस्ट– राढ़ी थाना एवं अंचल– जाले, जिला– दरभंगा विपक्षी तृतीय पक्ष (6) अब्दुल हफीज पिता– स्व0 मो0 सलीम ग्राम एवं पोस्ट– राढ़ी थाना एवं अंचल– जाले, जिला– दरभंगा विपक्षी चतुर्थ पक्ष (7) कैलाश प्रसाद पिता– स्व0 राम बहादुर महतो ग्राम एवं पोस्ट– राढ़ी थाना एवं अंचल– जाले, जिला– दरभंगा के विरूद्ध ने अंचल अधिकारी, जाले के दाखिल खारिज वाद संख्या– 1600 / 2011–12 आदेश दिनांक– 04.01.2012 के विरूद्ध दाखिल किया है साथ हीं साथ दफा– 5 लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत क्षांत करने का भी आवेदन किया है। अपीलकर्त्ता ने अपील की प्रति विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को हस्तगत करवाया तथा प्रतिग्रहण के बिन्दु पर सुनने के पश्चात् अपील को प्रतिग्रहित किया गया तथा विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया। विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता एवं विपक्षीगण के अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा विपक्षी द्वितीय पक्ष के ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित होकर अपील में अपना आपत्ति दाखिल किया तथा अंचल अधिकारी की ओर से माननीय सहायक सरकारी अधिवक्ता उपस्थित हुए अभिलेख पर उपस्थित निम्न न्यायालय अभिलेख तथा अपीलकर्त्ता एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया एवं पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 30.07.11 ई0 को मौजे– राढ़ी थाना	

19/05/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	नं0– 44 के अंतर्गत खाता सं0– 1278 खेसरा सं0– 4565 रकवा– 10 कट्ठा 11 धुर जमीन को वजरिये केवाला द्वारा प्राप्त है के नामान्तरण हेतु न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दरभंगा के द्वारा वाद संख्या– 42/10 में पारित आदेश के आलोक में दाखिल किया है जिस पर अंचल अधिकारी जाले ने हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग किया तथा आम सूचना निर्गत करने का आदेश दिया हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया कि अपीलकर्त्ता के बिक्रेता के नाम 10 कट्ठा 11 धुर कि जमाबन्दी चल रही है। श्री कैलाश प्रसाद के कुछ सह हिस्सेदार के द्वारा जमीन रकवा 05 कट्ठा 5 1/2 धुर बिक्री कर दिये गये तत्पश्चात् बिक्रेता अब्दुल हफीज पे0– सालीम ने वाद सं0– 359/08–09 दाखिल खारिज हेतु दायर किया तथा जमाबन्दी नं0– 3164 कर दिया गया रसीद सं0– 441616 दिनांक 30.06.11 द्वारा वर्ष 2011–12 तक मालगुजारी अदाय है जिसमें छायाप्रति अभिलेख के साथ संलग्न है उन्होनें यह भी प्रतिवेदन किया कि लाल महथा एवं अब्दुल हफीज के बीच बराबर झंझट होता रहता है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता को प्रश्नगत भूमि केवाला से प्राप्त है तथा इनके विक्रेता के नाम से जमाबन्दी चल रही है इसलिए इनका दाखिल–खारिज होना नियमानुकूल है। अतएव अंचल अधिकारी, जाले को आदेश दिया जाता है कि वे प्रश्नगत भूमि का नापी करवाते हुए केवाला में वर्णित चौहद्दी का सत्यापन करते हुए दाखिल–खारिज करेगें। आदेश की प्रति के साथ अंचल अभिलेख को वापस करें। लेखापित एव शुद्धित 19/05/14 19/05/14 भू0 सु0 उप समाहर्त्ता सदर, दरभंगा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, दरभंगा।	